



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5B/Budget (NP)-D/A/04 (2015-16)

3811

दिनांक: 4/12/15

प्रेषक: बी0सी0 निगम, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, व
झारखंड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं निदेशक,
प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, हजारीबाग।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), भांग संख्या-19, मुख्य
शीर्ष-2408-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के
आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-18/2014-15 /300/बजट राँची,
दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक -
7/यो0ब0-24/2015-2026 व0प0, राँची, दिनांक 17.04.2015 एवं आपका कार्यालय पत्रांक
1051, दिनांक 05.11.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के के आलोक में
"01-निदेशन एवं प्रशासन" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में 1,05,000/- रु0 की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-18/2014-15
/300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का
पत्रांक- 7/यो0ब0-24/2015-2026 व0प0, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार,
वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक
में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800
दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. 13-देशीय यात्रा व्यय इकाई में लंबित यात्रा भत्ता विपत्र की विस्तृत विवरणी संलग्न प्रपत्र में
उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BPHDA/01-15-16/768 की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु0-यथो0:

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 3811-

दिनांक 4/12/15

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखंड, राँची।
O/C



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

PCCF, JHARKHAND

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BPHDA/01-15-16/76B

दिनांक -

02-Dec

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601001010213 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 02 . यात्रा भो 13 . देशदेशस्थानीय यात्रा भत्ता	78546	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR. C&PALAMU,HZB	30,000.00 रुपये तीस हजार
2	N 19 240601001010333 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 03 . प्रशासनिक व्यय 33 . दूरभाष	78559	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR. C&PALAMU,HZB	15,000.00 रुपये पंद्रह हजार
3	N 19 240601001010442 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 04 . मोटरगाड़ियाद् / ईंधन 42 . मोटरगाडी ईंधन एवं भरण्यति	78553	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR. C&PALAMU,HZB	60,000.00 रुपये साठ हजार

योग:

105,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख पंच हजार

(Signature)
(B. C. WIGAM)

Principal Chief Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi

Details of Arear T.A. Bill

Sl. No.	Name of Employee	Period of Journey	Bill Amount	Purpose of Journey	Journey Sanctioned Issued by Whom ? (Name of Officer)	Recommendation of Present PCCE/APCCF/RCCF	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8